



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17206

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3994 वर्ष 2025

अंकुश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	सत्य प्रिया द्विवेदी
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	:	आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“1. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाए कि ग्राम अमूरा, तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी स्थित गाटा संख्या 299, क्षेत्रफल 0.445 हेक्टेयर की भूमि से अनधिकृत कब्जा इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर हटाया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा पारित दिनांक 29.3.2025 के बेदखली एवं हर्जाना आदेश के बावजूद उक्त आदेश का स्थल पर अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली एवं हर्जाना आदेश के अनुपालन में विवादित भूखण्ड से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाना चाहिए।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत बेदखली एवं हर्जाना का आदेश दिनांक 29.3.2025 को तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है।

6. उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन पारित अंतिम आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है; अतः धारा 67 के अधीन पारित आदेशों के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका इस अवलोकन के साथ **निरस्त की जाती है** कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु समुचित कार्यवाही विधि के अनुसार प्रारम्भ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।